

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0174 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 07/07/2025 18:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 26/06/2025 Date To (दिनांक तक): 04/07/2025
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:00 बजे Time To (समय तक): 20:45 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/07/2025 Time (समय): 14:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 07/07/2025 18:26:32 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 415 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b)Address(पता): MELDEE MATA KE MANDIR KE PASS, PAGTOON HOTAL UDAIPUR
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DR.VIKASH JAIN

(b) Father's Name (पिता का नाम): KHUBI LAL JAIN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1985

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON GURRA DHED BHARIYA, KOTRA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON GURRA DHED BHARIYA, KOTRA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AASHISH DAMOR AND OTHERS		पिता:KHEMRAJ DAMOR	1. GRAM KHANDI OBARI,KHERWARA,UDAIPUR,R AJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 1,50,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2025 को परिवादी डॉ. विकास जैन उपस्थित ब्यूरो कार्यालय मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के पास आकर अपना परिचय डॉ. विकास जैन निवासी गांव गुरा डेडभारिया तहसील कोटडा, जिला उदयपुर मोबाईल नं. [REDACTED] होना बताते हुये एक प्रार्थना-पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे पेश किया। परिवादी से पूछताछ करने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षर युक्त होना एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं डॉक्टर विकास जैन पुत्र श्री खूबी लाल उम्र 40 वर्ष जाति-जैन, निवासी गांव गुरा डेडभारिया, तह. कोटडा जिला उदयपुर का रहने वाला हूं। मैं कोटडा कस्बे में संचालित संजीवनी अस्पताल का मालिक हूं, मेरे अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नम्बर 0813000642 हैं। दिनांक 16.06.2025 को मेरे अस्पताल में उदयपुर से सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य व उसके साथ दो कर्मचारी आये थे, जिन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और कुछ कमियां बता कर चले जाने के करीब दो घण्टे बाद सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य के कार्यालय के दो कर्मचारी अस्पताल में आये व संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से क्लीनिक रजिस्ट्रेशन नहीं होने के संबंध में नोटिस क्रमांक एसपीएल 3 दिनांक 16.06.2025 को देकर मुझे बताया कि कल सुबह उदयपुर ऑफिस में आकर मिल लेना। जिस पर मैं दिनांक 18.06.2025 को सीएमएचओ कार्यालय उदयपुर गया, तो मुझे उक्त कार्यालय के आशीष डामोर नाम का व्यक्ति मिला जिसने बताया कि सीएमएचओ साहब आपके अस्पताल का लाईसेंस निरस्त करने के लिए कह रहे हैं। जिस पर मैंने कहा कि मेरा लाईसेंस तो सही है निरस्त क्यों करेंगे तो उसने कहा कि आपके अस्पताल में कई कमियां है आपका लाईसेंस निरस्त होगा तो मैंने कहा ऐसा मत करो बड़ी मुश्किल से मैंने हॉस्पिटल चालु किया है तो उसने कहा कि लाईसेंस निरस्त नहीं करने के लिए सीएमएचओ साहब ने 03 लाख रुपये देने के लिए कहा है तो मैंने कहा कि इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद मैं आशीष डामोर से दिनांक 20.06.2025 को जाकर मिला और मैंने कहा कि मेरे पास तो इस वक्त 25,000 हजार रुपये हैं तो उसने मुझ से 25 हजार रुपये ले लिये और कहा की साहब से बात करके मैं देख लूंगा। इसके एक दो दिन बाद मेरे पास आशीष डामोर कर्मचारी का वाट्सएप कॉल आया व कहा कि आपका क्या करना है डील मंजूर करनी है या लाईसेंस निरस्त करें। मैंने कहा कि इतना नहीं दे पाऊंगा तो उसने कहा कि अधिकारी लास्ट 02 लाख की बात कही है आप दो लाख रुपये देना जिस पर मैंने थोडा समय देने हेतु कहा। उसके बाद आशीष डामोर के लगातार कॉल आ रहे हैं। सीएमएचओ अशोक आदित्य अपने कर्मचारी आशीष डामोर के मार्फत मुझे 02 लाख रुपये रिश्त की मांग कर रहा है, मैं सीएमएचओ अशोक आदित्य व उसके कर्मचारी आशीष डामोर को रिश्त नहीं देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, मेरी उनसे कोई रंजिश एवं दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का पुराना उधार है, कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी ने प्रार्थना-पत्र के नोटिस क्रमांक एसपीएल 3 दिनांक 16.06.2025 प्रति तथा संजीवनी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रति भी पेश की। परिवादी श्री डॉ. विकास जैन से मजीद दरियाफ्त एवं उक्त परिवाद से मामला प्रथम दृष्टया रिश्त मांगने का पाया जाने पर श्री बंशीधर कानि. 24 को कार्यालय कक्ष में तलब कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड 32 जीबी Sandisk कम्पनी का डालकर दोनों का खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि परिवादी को समझाई जाकर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार की गई तथा बंशीधर कानि. को परिवादी के साथ रवाना कर दिनांक 27.06.2025 को रिश्त मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें परिवादी को उसका संजीवनी अस्पताल का लाईसेंस निरस्त नहीं करने की ऐवज में आरोपी श्री आशीष बाबू द्वारा परिवादी डॉ. विकास जैन से 2,00,000 रुपये रिश्त राशि की मांग करना तथा मांग सत्यापन के वक्त आशीष द्वारा 25,000 रुपये रिश्त राशि प्राप्त किया जाना पाया गया। परिवादी द्वारा रूपयों की व्यवस्था दिनांक 03-04.07.2025 तक होने की बताने पर परिवादी को मुनासिब हिदायत की तथा ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 03.07.2025 को पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान तथा कार्यालय स्टाफ निर्धारित समय पर उपस्थित कार्यालय आये। उसके बाद स्वतंत्र गवाह को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही साथ रहने की सहमति ली जाकर स्वतंत्र गवाहान का कार्यालय स्टाफ का आपस में परिचय करवाया। तत्पश्चात् समय करीब 11.00 ए.एम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र मय श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस, श्री राजकुमार हैड कानि. 79, श्री बंशीधर कानि. नम्बर 24, श्री मनु शर्मा कानि. 111, श्री आशीष कानि. 208, श्रीमति राजबाला महिला कानि. 495 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज झाझडिया एवं श्री धर्मचन्द योगी व मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तथा टेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं

आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 यूएल 6419 एवं वाहन संख्या आरजे 45 सीएन 6346 एवं मय चालकों वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से उदयपुर के लिए रवाना होकर बसंत कुंज नेचर रिसोर्ट जिन्डोली रोड, रामा उदयपुर पहुंच कर मुकीम हुआ। जहां मुताबिक हिदायत मोबाईल वार्ता परिवारी डॉ. विकास जैन उपस्थित आया, जहां कार्यालय के स्टाफ एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवारी से आपस में परिचय करवाया गया। उसके बाद परिवारी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को आरोपी द्वारा मांगी गई 1,50,000 रुपये की व्यवस्था कल दिनांक 04.07.2025 को होना बताया तथा रुपये की व्यवस्था होने पर सम्पर्क करने हेतु कहा। उसके बाद परिवारी को उसके मोबाईल में हुये संबंधित चैट्स तथा कॉल्स को सुरक्षित रखने की हिदायत की गई, बाद मुनासिब हिदायत परिवारी को रूखसत किया गया। उसके बाद दिनांक 04.07.2025 को परिवारी डॉ. विकास जैन मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया, जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवारी को संदिग्ध आरोपी के मांग अनुसार 1,50,000 रुपये शेष रिश्वति राशि पेश करने का कहने पर परिवारी ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 300 नोट कुल 1,50,000 रुपये amazon.in आदि लिखे खाकी रंग के लिफाफे में से निकाल कर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को पेश करने पर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई। तत्पश्चात् श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस को, श्री राजकुमार हैड कानि. 79 व श्रीमती राजबाला म.कानि. 495, मय सरकारी वाहन आरजे 45 सीएन 6346 व चालक के संदिग्ध आरोपी के सीएमएचओ कार्यालय के आस-पास मुकिम होने की हिदायत देकर एवं समय करीब 02.40 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज झाझडिया व धर्मचन्द योगी, श्री आशीष कानि. 208, मय टेम्प बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के रिसोर्ट से जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 6419 मय चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु एन.एच 8 पर मेलडी माता के मन्दिर की तरफ रवाना हुआ एवं परिवारी डॉ0 विकास जैन के साथ श्री मनु शर्मा कानि. 111 व श्री बंशीधर कानि. 24 को भी परिवारी के निजी वाहन अल्टो कार से एन.एच 8 पर मेलडी माता के मन्दिर के पास मिलने की हिदायत कर रवाना किया जाकर, एन.एच. 8 मेलडी माता के मन्दिर के पास, पगतून होटल पर पहुंचा। तत्पश्चात् समय 08.20 पीएम पर परिवारी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया जाकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों के परिवारी के आप-पास खड़े होकर निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। इसके पश्चात् समय 08.45 पीएम पर परिवारी डॉ. विकास जैन ने एन.एच 8 पर स्थित मेलडी माता के मन्दिर के पास पगतून होटल के बाहर से रिश्वत लेन-देन का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया, इसी दौरान संदिग्ध आरोपी ट्रेप पार्टी को उसके पास आता देखकर स्थिति भांप गया और डर के मारे रिश्वति राशि के रूपयों वाले लिफाफे को रोड के पास में झाड़ियों के पौधे वाले खाली स्थान पर फेंक कर अपनी सफेद रंग की कार i20 RJ-27 CA 0656 में बैठकर भागने लगा। जिसको मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप सदस्यों की मदद से संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा व परिवारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवारी डॉ. विकास जैन ने संदिग्ध व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही आशीष डामोर सहायक प्रशासनिक अधिकारी है। जिसने मुझसे मेरे संजीवनी हॉस्पिटल में कमी निकाल कर लाईसेंस निरस्त नहीं करने की ऐवज में अभी-अभी मुझसे रिश्वत राशि मांगने पर मैंने मेरे निजी वाहन मारूती अल्टो कार नम्बर GJ 09 BD 5283 के डैस्क बोर्ड के बॉक्स से 1,50,000 रुपये रिश्वती राशि का लिफाफा निकालकर दिया। जिसने लिफाफे को अपने हाथों में लिया तथा आप लोगों को आते हुये देखकर डर के मारे रिश्वति राशि वाले लिफाफे को रोड के पास में झाड़ियों पौधे वाले खाली स्थान पर फेंक दिया। उसके बाद मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने संदिग्ध व्यक्ति के हाथों को श्री आशीष कानि. 208 व बंशीधर कानि. 24 से कलाई के उपर से अलग-अलग पकड़वाये गये तथा कार्यालय के विडियों कैमरा से श्री मनु कानि. 111 द्वारा फेंकी गई रिश्वति राशि के लिफाफे के स्थान की विडियोग्राफी करवाई गई। उसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री पंकज झाझडिया से रिश्वति राशि का लिफाफा उठवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर संदिग्ध व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री आशीष डामोर पुत्र श्री खेमराज डामोर, उम्र 35 वर्ष जाति मीणा, निवासी ग्राम खाण्डी ओबरी, तह. खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर होना बताया। परिवारी से प्राप्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर से सुना गया तो उसमें परिवारी व आरोपी आशीष डामोर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। आरोपी आशीष डामोर सहायक प्रशासनिक अधिकारी से पूछा गया कि आपने परिवारी डॉ विकास जैन से अभी कुछ देर पहले किस बात के रुपये लिये है। जिस पर आरोपी आनाकानी करने लगा व कहा कि मैंने तो किसी से रिश्वत राशि नहीं ली है, उसके बाद मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने पुनः तसल्ली देकर पूछा तो आशीष डामोर ने बताया कि डॉ. विकास जैन अपना निजी अस्पताल संजीवनी के नाम से चलाता है आज से करीब 13-15 दिन पहले मेरे पास मेरे कार्यालय में आया तथा इसके अस्पताल का लाईसेंस निरस्त नहीं करने के लिए मिला तथा मेरे से मदद मांगी, इस पर मैंने उसे आश्वासन देते हुये उसका काम करवा देने के लिए कहा था। मैंने इससे कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की। आज भी विकास जी मेरे को फोन करके अपने काम के बारे में पूछ रहे थे और मुझ से मिलने की बोल रहे थे जिस पर इनके कहने पर मैंने इनको मेलडी माता के मन्दिर के पास पगतून कैफे के बाहर मिलने के

लिए बुलाया और हमारी आपस में अस्पताल का लाईसेंस निरस्त नहीं करवाने के बारे में बातचीत हुई। बातों-बातों में विकास जी मुझे एक लिफाफा दिया जो मैंने आपको डर के मारे देखकर रोड के साईड में झाड़ियों में फेक दिया। उसके बाद मौजूद परिवारी ने डॉ. विकास जैन ने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुए बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोटडा कम्बे में संजीवनी अस्पताल संचालित कर रखा है। मेरे अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है। आज से करीब 20-22 दिन पहले मेरे अस्पताल में सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य व उसके साथ दो कर्मचारी आये थे, जिन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और कुछ कमियां बता कर चले गये, इसके करीब दो घण्टे बाद सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य के कार्यालय के दो कर्मचारी अस्पताल में आये व संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से क्लीनिक रजिस्ट्रेशन नहीं होने के संबंध में नोटिस क्रमांक एसपीएल 3 दिनांक 16.06.2025 दिया तथा मुझे दूसरे दिन सुबह उदयपुर ऑफिस में आकर मिलने को कहा। जिस पर मैं दिनांक 18.06.2025 को सीएमएचओ कार्यालय उदयपुर गया, तो मुझे उनके कार्यालय में आशीष डामोर मिला तो आशीष ने मुझे सीएमएचओ साहब द्वारा मेरे अस्पताल का लाईसेंस निरस्त करने के लिए कहा। जिस पर मैंने कहा कि मेरा लाईसेंस तो सही है निरस्त क्यों करेंगे तो आशीष ने कहा कि आपके अस्पताल में कई कमियां हैं आपका लाईसेंस निरस्त होगा तो मैंने कहा ऐसा मत करो बड़ी मुश्किल से मैंने हॉस्पिटल चालु किया है तो आशीष ने कहा कि लाईसेंस निरस्त नहीं करने के लिए सीएमएचओ साहब ने 03 लाख रुपये देने के लिए कहा है तो मैंने उसे कहा कि इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद में आशीष डामोर से एक-दो दिन बाद वापस जाकर उसके ऑफिस में मिला तो मेरे से आशीष ने 25,000 मांगने पर मैंने आशीष को 25,000 हजार रुपये दिये। उसके बाद मैं आपके ब्यूरो कार्यालय में आपके पास आया। इसके एक दो दिन बाद मेरे पास आशीष का वाट्सएप कॉल आया व कहा कि 02 लाख से कम साहब नहीं कर रहे हैं, डील मंजूर करनी है या लाईसेंस निरस्त करना है, वरना दो लाख रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इतना नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा समय देने के लिए कहा, उसके बाद से आशीष के लगातार मेरे पास कॉल आने लगे। 2,00,000 रुपये में से मैं आपके पास आने से पहले 25 हजार रुपये दे चुका था तथा इसके बाद आशीष को दिनांक 27.06.2025 को 25,000 हजार रुपये उसके द्वारा मांग सत्यापन के वक्त मांगने पर और दिये जिस पर दो लाख रुपये में से शेष राशि 1,50,000 रुपये देना बाकी था, जिस पर आज आशीष मेरे से मेरे अस्पताल के लाईसेंस सीएमएचओ द्वारा निरस्त नहीं करवाने की ऐवज में 1,50,000 रुपये मेरे से रिश्वत के रूप में प्राप्त किये। आरोपी आशीष डामोर से परिवारी के कार्य के संबंध में सीएमएचओ की भूमिका के संबंध में पूछा तो बताया कि डा० विकास जैन के कोटडा स्थित संजीवनी अस्पताल के क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन नहीं होने बाबत नोटिस सीएमएचओ द्वारा दिया गया था जिसके डर से वह उदयपुर सीएमएचओ ऑफिस आया तब सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य ने मुझे विकास जैन से मैटर सैटल करने को कहा तथा रुपये तय हो जाने पर व डॉ. विकास जैन द्वारा तय रुपये दे दिये जाने पर कोड वर्ड में बात करके बता देना या घर आकर/मिलकर बताने हेतु कहा गया। आरोपी आशीष डामोर के उक्त कथन की काफी हद तक मांग सत्यापन वार्ता से ताईद भी होती है। अतः सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य की प्रकरण में अपराधिक संलिप्तता को अग्रिम अनुसंधान से स्पष्ट किया जावेगा। चूंकि उक्त स्थान पर आवागमन होने तथा लिखा पढ़ी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अति० पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम एवं आरोपी, सरकारी वाहन मय चालक तथा आरोपी के वाहन को श्री मनु कानि. 111 द्वारा साथ लेकर, पुलिस थाना सविना में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लेकर रवाना होकर पुलिस थाना सविना पहुंचे। पूर्व में रवाना शुदा श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के पुलिस थाना सविना पर उपस्थित आने के निर्देश देने पर उपस्थित आये। इसके पश्चात् मन् अति० पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना सविना थानाधिकारी को की गई कार्यवाही से अवगत करवाकर उचित व्यवस्था प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् परिवारी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पुलिस थाने से बोतल में स्वच्छ पानी मंगवाकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण के एक गिलास में आशीष डामोर के दांहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में आशीष डामोर के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाया गया लिफाफा को चैक करवाया गया तो उसमें 500-500 रुपये के नोट होना पाये गये। जिसका दोनों गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो 500-500 रुपये के 300 नोट कुल 1,50,000 रुपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त 1,50,000/-रुपये के रिश्वती नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 PR 319215
2. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 BL 200453
3. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 QD 212799
4. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 PW 329206
5. एक नोट पांच

सौ रुपये का नम्बरी 9 GQ 275455 6. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 TG 892436 7. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 QT 567351 8. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 QA 595520 9. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 BE 147462 10. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 BU 922620 11. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 PH 632652 12. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 MS 588782 13. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 QL 216175 14. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 PB 659805 15. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 CA 023352 16. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 FV 757656 17. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 AP 884880 18. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 SQ 632876 19. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 AM 845600 20. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 BU 684800 21. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 NC 724516 22. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 FG 173752 23. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 AC 896543 24. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 FS 717947 25. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 EM 661187 26. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 HP 234007 27. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 US 711250 28. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 TR 258825 29. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 LW 890659 30. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 LW 890660 31. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 LW 890692 32. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 LW 890651 33. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 QD 621712 34. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 NV 125774 35. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 MK 111836 36. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 BC 703777 37. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 FG 309220 38. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 VF 348039 39. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 FF 344209 40. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 GM 279349 41. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 ED 449684 42. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 BQ 010117 43. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 GL 024900 44. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 HB 214284 45. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 VR 529642 46. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 TD 629065 47. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 FM 570904 48. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 QR 419658 49. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 HG 787007 50. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 WF 944428 51. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 BH 472656 52. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 DG 603167 53. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 KF 920181 54. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 PV 416109 55. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 VR 578119 56. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 LK 652943 57. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 SA 201756 58. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 HH 628881 59. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 QR 951088 60. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 FC 710680 61. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 SD 268625 62. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 LP 948987 63. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 DQ 987634 64. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 HU 970268 65. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 RM 236307 66. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 DM 500445 67. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 VM 878506 68. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 FC 619660 69. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 DF 010834 70. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 QM 594336 71. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 FH 609000 72. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 FE 509872 73. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 GA 123405 74. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 AF 277732 75. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 QL 309535 76. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 AR 292855 77. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 BU 951218 78. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 BP 920604 79. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 KF 012506 80. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 PH 483851 81. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 UT 350456 82. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 DS 951174 83. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 PV 361730 84. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 DQ 597784 85. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 WF 010056 86. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 BM 624027 87. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 QR 790992 88. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 PB 323586 89. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 HN 170839 90. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 NA 280627 91. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 HW 066843 92. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 AR 560450 93. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 LD 168584 94. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 QS 327272 95. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 ER 423674 96. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 EC 994524 97. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 MG 949981 98. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 WK 466122 99. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 VC 806437 100. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 SC 878661 101. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 SA

7

8

391478 294. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 RH 694297 295. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 8 AQ 707943 296. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 EH 244206 297. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 HH 843400 298. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 WN 679336 299. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 RM 146510 300. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 NE 930186 उक्त बरामद शुदा 1,50,000 रिश्वती नोटो तथा खाकी रंग के लिफाफे को साथ लगाकर एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। परिवादी के वाहन की तलाशी श्री बंशीधर कानि. 24 एवं स्वतंत्र गवाह श्री पंकज झाझडियां से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी आशीष डामोर से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया तथा घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात आशीष डामोर का सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत पूछने पर आरोपी आशीष डामोर ने अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिसकी फर्द नमूना आवाज तैयार की गई। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी आशीष डामोर के विरुद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आशीष डामोर सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी की डीवीडी पृथक-पृथक तैयार की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार आदि कार्यवाही की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी आशीष डामोर सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग कर वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी से उसकी संजीवनी अस्पताल का लाईसेंस निरस्त नहीं करवाने की ऐवज में आरोपी आशीष डामोर द्वारा परिवादी डॉ. विकास जैन से 3,00,000 रुपये रिश्वत राशि मांग कर दिनांक 27.06.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी द्वारा 2,00,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय कर 25,000 हजार रुपये परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त तथा 25,000 रुपये रिश्वत मांग सत्यापन से पूर्व लेना तथा दिनांक 04.07.2025 को शेष राशि 1,50,000 रुपये को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी आशीष डामोर द्वारा परिवादी से 1,50,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा अन्य की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है, जो अनुसंधान से स्पष्ट होगी। अतः आरोपी श्री आशीष डामोर पुत्र श्री खेमराज डामोर, उम्र 35 वर्ष जाति मीणा, निवासी ग्राम खाण्डी ओबरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर व अन्य के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (भूपेन्द्र) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस-2023 में आरोपी श्री आशीष डामोर पुत्र श्री खेमराज डामोर, उम्र 35 वर्ष जाति मीणा, निवासी ग्राम खाण्डी ओबरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर व अन्य के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अन्नत कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 114 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 994-97 दिनांक 07-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- निदेशक(अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

ANANT KUMAR

Rank

(पद):

अपर पुलिस अधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivan
Location: Rajasthan, IN
Date: 07/07/2025 18:27:53

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा /बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)